an>

Title: Regarding the disappearance of AN-32 plane.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले शुक्रवार से एयर फोर्स का हवाई जहाज ए.एन.-32 बंगाल की खाड़ी से लापता है। इस संबंध में व्यापक सर्च अभियान चल रहा है। उसमें 29 यात्री थे, जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वे सकुशल अपने घर वापस लौटें। उनमें तीन व्यक्ति हरियाणा प्रदेश के भी हैं, जिनके नाम हैं- फ्लाइट लेफ्टिनेंट दीपिका सिरान, फ्लाइट ऑफिसर पंकज नामदल और फ्लाइट ऑफिसर पुÂष्पेन्द्र बड़ेसरा। मैं पंकज नामदल के परिवार से भी मिला हूँ। परिवारों ने भी अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। हमें भी उम्मीद रखनी चाहिए और उनके लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए।

मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, क्योंकि इस संबंध में अभी सरकार की ओर से स्टेटमेंट नहीं आयी है। उनके परिवारों का यह भी मानना है कि रशिया सरकार के पास कोई ऐसी इक्विपमेंट है, जिसे बंगाल की खाड़ी में डिप्लॉय किया जाए, तो उससे सर्च ऑपरेशन में और तेजी आएगी।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि रशिया की सरकार से बातचीत की जाए और सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आए। यह मामला पहले भी उठा था क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। गृह मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं।

माननीय अध्यक्ष : क्या आप भी यही विÂषय उठाना चाहते हैं, तो आप अपने को असोसिएट कर सकते हैं।

श्री दुÂष्यंत चौटाला (हिसार) : महोदया, मेरा विÂषय इसके रिगार्डिंग नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : तो फिर

दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदया, मेरा निवेदन है कि इस पर सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : स्टेटमेंट के बारे में कहा है।

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: It is already 1:30 p.m. Shri M. Srinivasa Rao. Not present.

The House stands adjourned to meet again at 2:30 pm.

13.30 hours

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes

past Fourteen of the Clock.

14.31 hours

The Lok Sabha re-assembled at Thirty-One Minutes

past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.